रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2018/माघ 11, 1939
No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :- (1) इन नियमों का नाम एक रूपये के करेंसी नोटों का मुद्रण नियमावली, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **मुद्रण:-** एक रुपये के करेंसी नोट परिचालन के लिए भारत सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत जारी करने के लिए नोट मुद्रण प्रैसों में मुद्रित किए जाएंगे।

3. **एक रुपये के करेंसी नोट की विमाएं और संरचना:-** एक रुपये के करेंसी नोट पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे।

4. **डिजाइन:-** एक रुपये के करेंसी नोटों का डिजाइन दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट डिजाइन के अनुसार होगा।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात छूट:-** एक रुपये के करेंसी नोटों के मुद्रण में मानक कागज वजन और अनुज्ञात छूट (सह्यता) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुरूप होगी।

पहली अनुसूची

(नियम 3 देखें)

नोट का मूल्यवर्ग	आकृति और आकार	कागज की संरचना
(1)	(2)	(3)
एक रुपये का करेंसी नोट	आयाताकार 9.7X6.3 सेंटीमीटर	100 प्रतिशत (कॉटन) रेग कंटेंट
		कागज का वजन:- 90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर)
		कागज की मोटाई:- 110 माइक्रोन्स

		मल्टी टोनल वाटरमार्क (i) **'सत्यमेव जयते'** शब्दों के बिना खाली स्थान पर अशोक स्तंभ (ii) केन्द्र में न दिखने वाली संख्या '1' (iii) न दिखने वाला शब्द **'भारत'** जो दाहिनी तरफ लम्बवत लिखा हुआ है।

दूसरी अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(1) अग्र भाग :-

(क) इसमें "Government of India" शब्दों के ऊपर **'भारत सरकार'** शब्द हैं और श्री सुभाष चंद्र गर्ग, सचिव, वित्त मंत्रालय के द्विभाषिक हस्ताक्षर हैं तथा 'सत्यमेव जयते' और संख्यांकन पैनल में बड़ा इनसैट अक्षर **'L'** के साथ जारी '₹' प्रतीक सहित एक रुपये के नए सिक्के की प्रतिकृति है।

(ख) संख्यांकन बाएं से दाएं संख्याओं के बढ़ते आकार में नोट के दाएँ निचले हिस्से में काले रंग में होगा, जबकि पहले तीन आक्षरंकीय चिह्न (प्रीफिक्स) आकार में स्थिर रहेंगे।

2. **पृष्ठ भाग**:- इसमें 'Government of India' शब्दों के ऊपर **'भारत सरकार'** शब्द हैं तथा '₹' प्रतीक के साथ फूल के डिजाइन वाले एक रुपये के सिक्के के चित्र पर वर्ष 2018 है तथा आसपास के डिजाइन में तेल अन्वेषण प्लेटफार्म 'सागर सम्राट' का चित्र है जिसमें भाषा पैनल में पंद्रह भारतीय भाषाओं में प्रामाणिक मूल्य दिया गया है और 'सागर सम्राट' और भाषा पैनल के बीच वर्ष की संख्या अंतर्राष्ट्रीय अंकों में लम्बवत दर्शायी गई है।

3. **समग्र रंग योजना**:- एक रुपये के करेंसी नोट का रंग अग्र भाग मुख्य रूप से गुलाबी हरा होगा और पृष्ठ भाग में अन्य रंगों का तालमेल होगा।

तीसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

मूल्यवर्ग	पैरामीटर	मानक वजन	अनुज्ञात (सह्यता) छूट
(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	उपयोग किए गए कागज का ग्राम भार	90 जीएसएम (ग्राम प्रतिवर्ग मीटर)	+/-3 जीएसएम
	कागज की मोटाई	110 माइक्रोन्स	+/-5 माइक्रोन्स

[फा. सं. 03/09/2014-करेंसी-II]

शोबा बेसिल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2018

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Printing of One Rupee Currency Notes, Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Printing.—The One Rupee Currency Notes shall be printed at the note printing presses for issue under the authority of the Government of India for circulation.

3. Dimensions and compositions of One Rupee Currency Note.—The One Rupee Currency Notes shall conform to the dimensions and composition as specified in the First Schedule.

4. Design.—The design of One Rupee Currency Notes shall be as specified in the Second Schedule.

5. Standard weight and remedy allowed.—The standard paper weight and remedy (tolerance) allowed in printing of One Rupee Currency Notes shall be as specified in the Third Schedule.

FIRST SCHEDULE

(See rule 3)

Denomination of Note	Shape and Size	Paper Composition
(1)	(2)	(3)
One Rupee Currency Note	Rectangular 9.7 x 6.3 cms	100 per cent. (Cotton) Rag Content.
		Weight of Paper:- 90 GSM (Grams per Square Meter)
		Thickness of Paper:- 110 microns
		Multi tonal Watermarks:- (i) Ashoka Pillar in the window without words '**सत्यमेव जयते**' (ii) Hidden Numeral '1' in the centre (iii) Hidden Word '**भारत**' vertically arranged on the right hand side.

SECOND SCHEDULE

(See rule 4)

(1) **Obverse:—**

(a) It contains the words '**भारत सरकार**' above the words "Government of India" with the bilingual signature of Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Ministry of Finance and with the replica of New Rupee One coin with '₹'symbol of 2018 issued with '**सत्यमेव जयते**' and capital Inset letter '**L**' in numbering panel.

(b) The numbering shall be in black at right hand bottom portion of the Note in ascending size of numerals from left to right, while the first three alphanumeric characters (prefix) remains constant in size.

(2) **Reverse:—**It contains the words '**भारत सरकार**' above the words "Government of India" with the year 2018 on the representation of the One Rupee coin with '₹'symbol having floral design and the surrounding design consists of picture of 'Sagar Samrat' the oil exploration platform and with the authentic rendering of value in fifteen Indian languages in language panel with the year figure shown vertically in between "Sagar Samrat" and language panel in international number.

(3) **Overall Colour Scheme:—**The colour of One Rupee Currency Note shall be predominantly pink green on obverse and reverse in combination with others.

IndiaCode

THIRD SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination	Parameter	Standard weight	Remedy (Tolerance) allowed
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupee One	Grammage of Paper Used	90 GSM (Grams per Square Meter)	+/- 3 GSM
	Thickness of Paper	110 Microns	+/- 5 Microns.

[F. No. 03/09/2014-Cy.-II]

SHOBA BASIL, Under Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.02 18:02:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.